रेजीडेंट डॉक्टरों में दो फाड़, इन सर्विस रेजीडेंट काम पर लौटे

फ्रेशर्स ने दी इमरजेंसी सेवाएं ठप करने की चेतावनी

रेजीडेंट हड़ताल से एसएमएस सहित अन्य अस्पतालों में मरीज परेशान

जयपुर,(कासं)। नई बॉन्ड नीति में संशोधन सहित अन्य मांगों को लेकर रेजिडेंट डॉक्टरों और सरकार के बीच बुधवार को भी गतिरोध बना रहा। इस बीच रेजीडेंट डॉक्टर्स दो धड़ों में बंट गए। इनमें से सेवारत रेजीडेंट सरकार की पॉलिसी के साथ आ गया है। गुरुवार से यह काम पर लौट आएंगे। दूसरी तरफ फ्रेशर्स रेजिडेंट ने चेतावनी दी है कि सरकार पिछले पांच दिन से कोई सकारात्मक बातचीत नहीं कर पा रही है। ऐसे में आंदोलन को तेज करते हुए इमरजेंसी सेवाएं ठप करने की चेतावनी दी। बुधवार को विरोध स्वरूप एस एम एस मेडिकल कॉलेज से लेकर तीन मूर्ति सर्किल तक रैली निकालकर करीब एक घंटे प्रदर्शन किया। उधर रेजिडेंट डॉक्टरों के हड़ताल पर होने से एसएमएस सहित अन्य अस्पतालों में चिकित्सा व्यवस्था चरमराने से मरीज परेशान हो रहे हैं।

जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स (जार्ड) के अध्यक्ष डॉ. नीरज डामोर ने बताया कि मांगों को लेकर रेजिडेंट डॉक्टरों का आंदोलन लगातार जारी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार मांगों का निराकरण करने के बजाय आंदोलन को कमजोर करने और रेजिडेंट यूनिटी को तोड़ने के लिए अलग अलग स्तर पर कूटनीतियां अपना रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार का यही रुख रहा तो रेजीडेंट चिकित्सक इमरजेंसी सेवाओं को भी ठप करेंगे। इस पर आज रात होने वाली कोर कमेटी की बैठक में निर्णय लिया जाएगा।

उधर राज्य के चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख शासन वैभव गालरिया ने बताया कि सचिव राज्य सरकार के साथ समझौता वार्ता में सहमति बनने पर 85 प्रतिशत से ज्यादा रेजिडेंट डॉक्टर्स ने हड़ताल समाप्ति की घोषणा कर काम पर लौटने का फैसला किया है। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने बुधवार रात आठ बजे से हड़ताल समाप्त कर दी है। गालरिया ने बताया कि समझौता वार्ता में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जिनमें रेजिडेंट डॉक्टर्स के चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत सर्विस बॉन्ड को प्रवेश बेच 2020-21 व प्रवेश बेच 2021-22 के लिए एक बार की शिथिलता प्रदान करते हुए बॉन्ड राशि दस लाख रुपए करने और पूर्व अनुसार समय अवधि दो वर्ष करने पर सहमति हुई।

इसी प्रकार पीजी व सुपर स्पेशलिटी कोर्स के बाद बॉन्ड की शर्तों के अनुसार राज्य सरकार की संविदा सेवाओं के संबंध में उच्च न्यायालय में लंबित विभिन्न याचिकाओं के निर्णय के उपरांत विचार किए जाने पर सहमति हुई।

प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा ने बताया कि उच्च न्यायालय का निर्णय आने के बाद 7 से 10 कार्य दिवस के भीतर प्रवेश बैच 2020-21 एवं प्रवेश बैच 2021-22 के लिए रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्षों से चर्चा और सहमति के बाद ही एसआरशिप के चयन की प्रणाली निर्धारित की जाएगी। जिसमें सभी रेजीडेंट डॉक्टर्स को एसआरशिप के समान अवसर मिले यह सुनिश्चित किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि कोविड-19 में कान्फ्रेंस नहीं होने के कारण बैच 2020 के लिए पेपर, पोस्टर व थिसिस में शिथिलता के लिए संबंधित कॉलेजों के प्रधानाचार्य स्तर पर प्रस्ताव एनएमसी व आर यू एच एस को भिजवाया जाएगा।

रेजिडेंट डॉक्टर्स के कार्य बहिष्कार के दौरान उठाए गए अन्य समस्त बिंदुओं पर राज्य सरकार द्वारा सहानुभूतिपूर्वक विचार किए जाने का निर्णय भी लिया गया है। साथ ही इनसर्विस डॉक्टर के बॉन्ड की समय सीमा व राशि में शिथिलता के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को सहानुभूति पूर्वक विचार किए जाने का प्रस्ताव भेजने का निर्णय भी लिया गया।

अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ अध्यक्ष डॉ. लक्ष्मण सिंह ओला का कहना है कि सेवारत रेजीडेंट ने सही कदम उठाया है। हैल्थ राज्य सरकार का विषय है और उसकी जिम्मेदारी है कि प्रदेश के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देना है। इसके लिए जो बाण्ड पॉलिसी है, वह सभी पर लागू होनी चाहिए। जब इन सर्विस पर यह लागू होती है तो फ्रेशर्स पर क्यों नही? बाहर के राज्यों से यहां आकर पीजी करने वाले मेडिकल छात्रों को सरकारी सेवा में मरीजों की सेवा के लिए बॉण्ड साइन कराया जाता है तो इसमें परेशानी क्या है।

इन सर्विस रेजीडेंट डॉ. जितेन्द्र बगरिया का कहना है कि इन सर्विस रेजीडेंट चिकित्सकों ने सरकार के साथ हुए कई वार्ता के दौर के बाद सरकार की ओर से दिखाई गई शिथिलता, जिसमें उन्होंने नई बॉण्ड पॉलिसी में काफी तब्दीली कर दी है। सरकार ने पांच साल की अबधि को घटा कर 2 साल कर दिया है। साथ ही 25 लाख की राशि को भी घटा कर 5 लाख कर दिया है। ऐसे में मानवीय दृष्टिकोंण अपनाते हुए इन सर्विस पीजी करने वाले रेजीडेंट हडताल से हट कर काम पर लौट रहे हैं।

बिना आरोप पत्र दिए निलंबन पर रोक

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने रोडवेज परिचालक पद पर कार्यरत कर्मचारी को बिना आरोप पत्र दिए निलंबन करने के आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगा दी है। वहीं अदालत ने मामले में रोडवेज के प्रबंध निदेशक और कार्यकारी निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश सुभाष चंद पंवार की याचिका पर दिए।

याचिका में अधिवक्ता सुनील कुमार सिंगोदिया ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता को गत एक सितंबर को अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने के आधार पर निलंबित कर दिया और मुख्यालय धौलपुर आगार कर दिया। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ बिना टिकट यात्रा कराने के रिमॉर्क के आधार पर विभागीय कार्रवाई किया जाना प्रस्तावित है, लेकिन याचिकाकर्ता को निलंबन करने तक कोई आरोप पत्र ही जारी नहीं किया गया। जबकि निगम के स्थाई आदेश 35 के अनुसार निलंबन आदेश के साथ आरोप पत्र की कॉपी संलग्न किया जाना जरूरी है। याचिकाकर्ता को विभागीय जांच प्रस्तावित करने के आधार पर ही निलंबित किया गया है। जो कि निगम के स्थाई आदेश के खिलाफ है। ऐसे में उसके निलंबन आदेश को रद्द किया जाए।

इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता के निलंबन आदेश पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

विश्व आर्थराइटिस दिवस पर बाइक रैली निकाली

जयपुर। विश्व आर्थराइटिस दिवस के उपलक्ष्य में इंडस जयपुर हॉस्पिटल मानसरोवर एवं रोरिंग हॉक्स ग्रुप के द्वारा बाइक रैली का आयोजन किया गया। इंडस जयपुर हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉ. शैलेन्द्र शर्मा व ग्रुप सीईओ डॉ.तेज कुमार शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रैली को इंडस जयपुर हॉस्पिटल से रवाना किया।

बाइक रैली वीटी रोड चौराहे से घूम कर शिप्रापथ मार्ग से होते हुए वापस इंडस जयपुर हॉस्पिटल पहुंची। बाइक रैली में विश्व आर्थराइट्स के अवसर पर रोरिंग हॉक्स ग्रुप के राइडर्स एवं हॉस्पिटल के डॉक्टर्स व स्टाफ ने भाग लिया। साथ ही ऑर्थोपेडिक विभागाध्यक्ष डॉ.दिलीप मेहता द्वारा किये गये जटिलतम घुटना प्रत्यारोपण मरीजों को एवं अन्य ऑपरेशन किये गये मरीजों को भी आमंत्रित किया गया और स्वास्थ्य चर्चा का आयोजन किया गया। चर्चा में वरिष्ठ स्पाइन रोग विशेषज्ञ डॉ. मुकेश हरितवाल व वरिष्ठ ऑर्थोपेडिक रोग विशेषज्ञ डॉ. आशीष माथुर भी चर्चा में उपस्थित रहे। रोरिंग हॉक्स के राइडर्स को व मरीजों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। रैली को सफल बनाने के लिए इंडसन जयपुर हॉस्पिटल के ग्रुप सीईओ डॉ. तेज कुमार शर्मा ने टीम का धन्यवाद दिया। रैली में अंशुल श्रीवास्तव (मार्केटिंग हैड), सत्यनारायण शर्मा (मैनेजर), नरेन्द्र शर्मा (मैनेजर), विक्रम सिंह (मैनेजर), राजेन्द्र चौधरी, गौरव शर्मा, आशीष यादव, पंकज शर्मा, सुहेल हसन, अरशद मिर्जा, गौरव कुमावत, दीक्षा शर्मा व हॉस्टिल टीम उपस्थित रही।

'प्रदेशाध्यक्ष की सहमति बिना भाजपा में एंट्री संभव नहीं'

जॉइनिंग कमेटी के संयोजक अर्जुनराम मेघवाल व देवनानी सदस्य बने

जयपुर। भाजपा में नेताओं की जॉइनिंग और घर वापसी के लिए केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल को पार्टी ने जॉइनिंग कमेटी का हेड बनाया है। भाजपा जॉइनिंग कमेटी में अर्जुनराम मेघवाल के अलावा विधायक वासुदेव देवनानी सहित 4 से 5 नेता शामिल होंगे। यह कमेटी तय करेगी कि कोई नेता भाजपा में शामिल होगा या नहीं।

राजस्थान में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अब भाजपा भी एक्शन मोड में आ गई है। जहां बड़े नेताओं की घर-वापसी की कोशिश शुरू हो गई है वहीं गहलोत सरकार के खिलाफ चलाए जाने वाले आंदोलनों के साथ आगामी दिनों के पार्टी के कार्यक्रम और रणनीति पर बैठकों का दौर शुरू हो गया। ऐसे ही रोडमैप के लिए जयपुर में मंगलवार को भाजपा पदाधिकारियों की बैठक भी हुई। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को अब भी एक साल से अधिक का वक्त बाकी है, लेकिन साल 2023 के विधानसभा चुनावों में 200 में से 180 सीटें और उसके अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों में 25 में से 25 सीटें जितने के लक्ष्य को लेकर भाजपा ने अभी से रोडमैप बनाना शुरू कर दिया है। 4 सालों में अलग-अलग कारणों से पार्टी छोड़कर गए कद्दावर नेताओं की घर वापसी को लेकर भी पार्टी ने विचार विमर्श शुरू कर दिया है। हालांकि प्रभारी अरुण सिंह ने साफ़ कर दिया कि पार्टी प्रदेशाध्यक्ष की सहमति के बिना किसी की एंट्री संभव नहीं है। इसमें वसुंधरा राजे समर्थक पूर्व मंत्री और सात बार के विधायक देवी सिंह भाटी भी शामिल हैं। केन्द्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को पिछले लोकसभा चुनाव में फिर से टिकट दिए जाने से नाराज होकर पार्टी छोड़ने वाले देवी सिंह भाटी के भाजपा में जॉइनिंग से प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया और संगठन पदाधिकारी असहज हो सकते हैं, यही कारण है कि इसे पार्टी में आने से पहले ही उनके अनुशासनहीनता के तौर पर देखा गया।

एडीजे सीधी भर्ती मुख्य परीक्षा में अधिवक्ता कोटे की सीटों को नहीं भरने पर रोष जताया

जयपुर। एडीजे सीधी भर्ती मुख्य परीक्षा में अधिवक्ता कोटा की सीटों को न भरे जाने के विरुद्ध अधिवक्ता समुदाय में भारी रोष व्याप्त है। एडीजे भर्ती परीक्षा 2021 में अधिवक्ता कोटे की 85 पोस्ट के लिए परीक्षा हुई। प्री परीक्षा पास करके 780 अधिवक्ता मेंस परीक्षा में सम्मिलित हुए।

सूत्रों के अनुसार मुख्य परीक्षा का परिणाम 1 अक्टूबर को घोषित किया जिसमें सिर्फ 4 अधिवक्ता को इंटरव्यू हेतु काल किया गया। पूर्व की एडीजे भर्ती परीक्षा में भी अधिवक्ता कोटा की सीटों को नही भरा गया था। अधिवक्ता कोटा की खाली सीटो को जुडिशियल ऑफिसर्स द्वारा एडहॉक प्रोमोशन से भर दिया जाता है। इस परीक्षा की कॉपी भी उन जिला जज द्वारा जांची गयी जिन्होंने वकील कोटा की सीनियरिटी को सुप्रीम कोर्ट में चुनोती दी गयी तथा जिनके भाई भतीजो को वकील कोटा की सीटों पर एडहॉक प्रोमोशन से एडीजे बनाया जाना प्रस्तावित है। यह संपूर्ण अधिवक्ता समुदाय के साथ अन्याय है। इसके विरूद्ध सम्पूर्ण राजस्थान के अधिवक्ता समूहों में रोष है।

एडीजे भर्ती में अधिवक्ता कोटे की सीटों को भरने की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट परिसर में बुधवार को धरना दिया।

अधिवक्ता कोटा की खाली सीटों को जुडिशियल ऑफिसर्स द्वारा एडहॉक प्रमोशन से भर दिया जाता है।

अधिवक्ताओं द्वारा कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को ज्ञापन देकर 85 पोस्ट के तीन गुना अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाने एवं समस्त 85 पोस्ट भरने की मांग की गयी। पूर्व की भर्ती परीक्षा 2018 में भी अधिवक्ता कोटा की 48 सीटों में से 5 पद भरे गए थे तथा शेष पदों को जुडिशियल ऑफिसर द्वारा भर दिया गया था।

एडीजे भर्ती संघर्ष समिति द्वारा हाईकोर्ट परिसर में धरना शुरू कर दिया गया है।

प्रदेश में 55 नए करोना संक्रमित मिले बुधवार को

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। प्रदेश में बुधवार को करोना संक्रमण के मामला में थोड़ी वृद्धि हुई है। इस दौरान राज्य में 55 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं केवल 17 मरीज ही ठीक होने से एक्टिव केस बढ़कर तीन सौ के ऊपर पहुंच गए हैं।

राज्य में बुधवार को 15 जिलों में 55 नए संक्रमित मिले हैं। इससे पहले मंगलवार को 32 रोगी पाए गए थे। इधर आज सर्वाधिक 10 नए संक्रमित राजसमंद में मिले हैं। इसके अलावा अजमेर में 8, जयपुर व कोटा में 7-7, उदयपुर में 5, जोधपुर में 4, चित्तौड़गढ़ में 3, अलवर, बीकानेर व पाली में 2-2 तथा बूंदी, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सीकर और सिरोही में एक-एक नया संक्रमित मिला है। इस बीच राज्य में 8318 जांचें की गई।

प्रदेश में लगातार दूसरे दिन भी रिकवरी में कमी आई है। इस दौरान केवल 17 ही मरीजों के ठीक होने से एक्टिव केस बढ़कर 312 हो गए हैं। जयपुर में पिछले चौबीस घंटों में 3 मरीज ही रिकवर होने से 58 मामले बचे हैं। प्रदेश में बुधवार को करोना से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। राज्य में अब तक इस बीमारी से 9644 लोगों की मौत हो चुकी है।

किसानों के ऋण से संबंधित जानकारी के लिए बनाया जाएगा कॉल सेंटर

जयपुर, (का.सं.)। प्रमुख शासन सचिव सहकारिता, श्रेया गुहा ने बुधवार को केंद्रीय सहकारी बैंक जयपुर की हरमाडा ब्रांच एवं ग्राम सेवा सहकारी समिति जैतपुरा का निरीक्षण किया एवं उनकी गतिविधियों एवं कार्यकलापों के बारें में जानकारी ली।

गुहा ने केन्द्रीय सहकारी बैंक की हरमाडा ब्रांच की विजिट के दौरान किसानों को अल्पकालीन सहकारी फसली ऋण, व्यक्तिगत ऋण एवं आवास ऋण वितरण के बारे में जानकारी ली। उन्होंने प्रबन्ध निदेशक अपेक्स बैंक बृजेन्द्र राजोरिया को निर्देश दिया कि अपेक्स बैंक के स्तर पर एक कॉल सेंटर खोला जाए। जिस पर किसानों एवं अन्य उपभोक्ताओं को ऋण एवं उनसे संबंधित जानकारीयां प्राप्त हो सके एवं उनकी समस्याओं का समाधान हो सके।

गुहा ने निर्देश दिए कि सभी सहकारी बैंकों को मोबाइल बैंकिंग के लाइसेंस के लिए अपेक्स बैंक प्रक्रिया शुरू कर सभी बैंकों को लाईसेंस दिलाने में मदद करें। उन्होंने निर्देश दिए कि अधिक से अधिक लोगों को बैंक से जोड़ें एवं उन्हें बैंक व सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाएं।

सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रेया गुहा ने केंद्रीय सहकारी बैंक की ब्रांच एवं ग्राम सेवा सहकारी समिति की गतिविधियों का निरीक्षण किया।

प्रमुख शासन सचिव सहकारिता ने आजादी से पूर्व जून, 1947 में पंजीकृत जैतपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति की गतिविधियां देखी एवं उसके कार्यकलापों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने ग्राम सेवा सहकारी समिति के पदाधिकारियों एवं किसानों से वार्ता की एवं उनके सुझाव भी सुने।

उन्होंने प्रबंध निदेशक, सीसीबी, जयपुर एम. एल. गुर्जर को निर्देश दिए कि समिति के लिए कंज्यूमर शॉप के लिए प्रस्ताव भिजवाएं ताकि समिति के व्यवसाय में वृद्धि हो सके। उन्होंने नैनो यूरिया के उपयोग एवं खेती-किसानी के बारे में जानकारी ली।

दादी जमना देवी के साथ हुई क्रूरता लोमहर्षक : शेखावत

जयपुर। केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान की बिगड़ती कानून-व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। जयपुर में 108 साल की दादी के साथ घटी घटना पर उन्होंने कहा कि जमना देवी के साथ हुई क्रूरता लोमहर्षक है। यह राज्य में फैल रही आपराधिक प्रवृत्ति का एक और दुर्भाग्यजनक उदाहरण है। शेखावत ने पूछा कि क्यों अपराध के दंड का भय कम होता जा रहा है? जवाब राज्य सरकार को देना चाहिए, लेकिन गहलोत मौन रहेंगे, बदले में उनके समर्थक कहेंगे "इसमें मुख्यमंत्री की क्या गलती? अपराधियों से बचने का काम तो जनता का है।"

विजया राहटकर का जोरदार स्वागत

जयपुर। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष एम. सादिक खान के नेतृत्व में राष्ट्रीय मंत्री एवं राजस्थान प्रदेश सह-प्रभारी विजया राहटकर का मोर्चा पदाधिकारियों के द्वारा प्रदेश कार्यालय में जोरदार इस्तकबाल किया गया।

'समाज को बदलने में अधिवक्ता की मुखर भूमिका हो सकती है'

जयपुर। भाजपा विधि प्रकोष्ठ की प्रदेश कार्यसमिति बैठक सम्पन्न हुई। बैठक को सम्बोधित करते हुए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया ने कहा कि समाज को बदलने में यदि किसी की मुखर भूमिका हो सकती है तो वो हमारा अधिवक्ता है। राष्ट्रीय महामंत्री एवं प्रदेश प्रभारी अरूण सिंह ने कहा प्रदेश में जंगलराज एवं भ्रष्टाचार चरम पर है, तुष्टिकरण वाली निर्बल गहलोत सरकार भाजपा कार्यकर्ताओं पर झूठे केस लगा रही है, आप प्रदेश एवं राष्ट्रिहत में कार्यकर्ताओं की पूरी मदद करें। प्रदेश सह-प्रभारीविजया राहठकर ने राष्ट्र पुनः निर्माण में भाजपा के योगदान पर अपना उद्धबोधन दिया। प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि एकजुट भारत एवं नागरिकों में कर्तव्य की भावना का विकास भाजपा के नए आयाम सेवा की बदौलत स्थापित करना एवं संगठन की संरचना प्रत्येक बार एसोसिएशन तक करना।

रीको एमनेस्टी योजना अब 31 मार्च तक प्रभावी

जयपुर, (का.सं.)। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में निवेश के लिए एक बेहतर माहौल बनाने के लिए उत्कृष्ट कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रीको औद्योगिक क्षेत्र में स्थित इकाइयों को विभिन्न प्रकार की छूट/रियायतें दिए जाने की अवधि 31 मार्च, तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के कारण औद्योगिक एवं उनसे जुड़ी इकाइयों को संबल प्रदान करने के उद्देश्य से रीको क्षेत्र में स्थित विभिन्न इकाइयों/प्रतिष्ठानों को छूटें प्रदान करने के लिए रीको एमनेस्टी स्कीम संचालित की जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में रीको एमनेस्टी स्कीम-2022 की घोषणा की गई थी जोकि दिनांक 30 सितंबर 2022 तक प्रभावी रही। इसके पश्चात अब इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए विभिन्न छूट एवं रियायतों का लाभ 31 मार्च तक मिल सकेगा। योजना की अवधि बढ़ाए जाने से विभिन्न औद्योगिक संगठनों एवं नए निवेशकों के लिए राहत मिल सकेगी तथा राज्य में निवेश के बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे।

राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम का कोल इंडिया लिमिटेड के साथ सोलर परियोजना के लिए एमओयू

जयपुर, (का.सं.)। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एवं केन्द्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी की उपस्थिति में होटल मेरियट, जयपुर में 1190 मेगावाट क्षमता की सोलर परियोजना स्थापित करने के लिए राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम एवं कोल इंडिया लिमिटेड के मध्य सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किये जायेंगें। राज्य सरकार द्वारा थर्मल पॉवर प्लांटों में कोयले की बचत एवं प्रदूषण में कमी करने के लिए तथा सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु राज्य के सरकारी उपक्रम राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम को 2000 मेगावाट सोलर पार्क को विकसित करने का जिम्मा दिया गया है। इसके लिए राज्य सरकार ने पूगल तहसील, बीकानेर में 4846 हैक्टेयर भूमि आवंटित की है तथा इस पार्क में 810 मेगावाट क्षमता की सोलर परियोजना स्वयं उत्पादन निगम द्वारा स्थापित की जाएगी एवं 1190 मेगावाट क्षमता की सोलर परियोजना कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा स्थापित की जाएगी। इससे राज्य के विद्युत क्षेत्र का विकास होगा एवं आमजन को निर्बाध विद्युत आपूर्ति की जा सकेगी।राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक आर.के.शर्मा ने बताया कि राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के थर्मल, हाइडल एवं गैस आधारित विद्युत गृहों द्वारा बिजली का उत्पादन किया जा रहा है जिसमें कोयले पर आधारित 23 थर्मल इकाइयों से 7580 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो रहा है।

ज्यादती करने वाले को बीस साल की सजा

जयपुर, (का.सं.)। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर द्वितीय ने आठ साल की मासूम के साथ ज्यादती करने वाले अभियुक्त भूरा उर्फ सलीम को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि अभियुक्त ने अपनी बेटी की आठ साल की सहेली के साथ ज्यादती की है। उसके कृत्य को माफ नहीं किया जा सकता है।

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि पीडिता के पिता ने भट्टा बस्ती पुलिस थाने में 13 मई 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि उसके पड़ौस में रहने वाले अभियुक्त की बेटी उसकी नाबालिग बेटी की सहेली है। अभियुक्त उसकी बेटी सहित एक अन्य बच्ची को अपने घर में खेलने के लिए लेकर गया था, लेकिन घर पर अभियुक्त की बेटी नहीं थी और उसकी पत्नी भी पीहर गई हुई थी। इसके बावजूद अभियुक्त ने दोनों को रोक लिया और कपडे खोलकर उनसे गंदी हरकतें करने लगा। वहीं उन्हें धमकाया कि यदि वहां से गई तो उन्हें हौद में डालकर मार देगा।

वेलफेयर फंड में अंशदान व स्टाइपेंड देने पर मंशा स्पष्ट करे राज्य सरकार : हाईकोर्ट

जयपुर, (का.सं.)। प्रदेश के वकीलों के वेलफेयर फंड में राशि का अंशदान नहीं करने से जुड़े मामले में अदालती आदेश की पालना में बार कौंसिल ऑफ राजस्थान ने हाईकोर्ट में शपथ पत्र पेश किया है। शपथ पत्र में कहा गया कि पिछले 35 साल में वेलफेयर फंड में करीब 150 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं, लेकिन इस फंड में राज्य सरकार ने सिर्फ एक करोड़ पचास हजार रुपए का ही अंशदान किया है। वहीं जब तक राज्य सरकार से उन्हें फंड नहीं मिलता, तब तक वे नए वकीलों को नियमित स्टाइपेंड नहीं दे सकते। अदालत ने कौंसिल के शपथ पत्र को रिकॉर्ड पर लेते हुए राज्य सरकार से वेलफेयर फंड में अंशदान और नए वकीलों के स्टाइपेंड के संबंध में अपनी मंशा स्पष्ट करने को कहा है। एक्टिंग सीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस विनोद कुमार भारवानी की खंडपीठ ने यह आदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव प्रहलाद शर्मा की जनहित याचिका पर दिए।

गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने गत सुनवाई को बीसीआर को शपथ पत्र पेश कर बताने को कहा था कि वेलफेयर फंड में कितनी राशि जमा है और इसमें से राज्य सरकार का अंशदान कितना है। याचिका में अधिवक्ता डॉ. अभिनव शर्मा ने बताया कि वकीलों की सामाजिक सुरक्षा के लिए कोई योजना नहीं है और कल्याण कोष केवल खानापूर्ति बनकर रह गया है। वकीलों की सुरक्षा से जुडा प्रोटेक्शन बिल भी लागू नहीं हो पाया है। वहीं राज्य सरकार भी वेलफेयर फंड में नियमित अंशदान नहीं कर रही है। दूसरी ओर नए वकीलों के पास आय का कोई साधन नहीं है। इसलिए उन्हें मासिक मानदेय भी दिया जाना चाहिए।